न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 55/19 GCMS NO 2019/108

लैण्ड होल्डर राज्य सरकार जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी

अपीलांट

बनाम

1. अमरलाल पुत्र भौरया जाति गुर्जर निवासी टोटोलाई तहसील गंगापुर सिटी
2. पप्पू पुत्र अमरलाल जाति गुर्जर निवासी टोटोलाई तहसील गंगापुर सिटी

(अपील विरूद्ध मु0नं0 5/16 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.5.17 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 पैरोकार सरकार

अभिभाषक रैस्पो0 श्री श्याम मोहन शर्मा

दिनांक 17.3.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 26.5.17 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पो0 द्वारा दावा घोषणा खातेदारी,इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी साबिक ख0न0 90 रकबा 4 बीघा 12 विस्वा ग्राम टोटोलाई तहसील गंगापुर सिटी मे से 1 बीघा 10 विस्वा भूमि वादी न0 1 अमरलाल को दिनांक 12.1.83 को आवंटित की जाकर मौके पर कब्जा दिया गया तभी से वादी इस भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। सेटलमेंट के दौरान इस भूमि का नया नम्बर 390 रकबा 33 ऐयर कायम किया गया परन्तु इसकी खातेदारी वादी की बजाय सिवायचक दर्ज कर दी गई। इस प्रकार भू प्रबंध विभाग द्वारा की गई कार्यवाही शुरू से ही अवैधानिक, शून्य व प्रभावहीन है तथा निरस्त योग्य है। वादी न0 1 अपनी खातेदारी भूमि को आवंटन के बाद से ही लगातार काश्त कर लाभान्वित होता चला आ रहा है। वादी न0 2 पप्पू को नायब तहसीलदार तलावडा के यहाँ से नोटिस मिलने पर पटवारी ने बताया कि भूमि सिवायचक हो गई है। पप्पू को नायब तहसीलदार द्वारा सजा कर दी गई। वादी ने अति0जिला कलेक्टर के यहाँ अपील पेश की गई जो खारिज कर दी गई। तब राजस्व रिकार्ड की नकल आदि पत्रादी प्राप्त की जाकर वाद पत्र पेश किया गया। नायब तहसीलदार वादी न0 2 गिरफतार करने व भूमि से बेदखल करने पर आमादा होने के कारण वाद पेश किया जाकर भूमि हाल ख0न0 390 रकबा 33 ऐयर ग्राम टोटोलाई को वादी [illegible] घोषित की जावे तथा वादी की खातेदारी मे दर्ज की जाकर वर्तमान मे दर्ज इन्द्राज [illegible] ये जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी [illegible] इन्द्राज की आड मे भूमि से

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:40:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

बेदखल न तो स्वयं करे ना ही अन्य किसी से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता पैरोकार सरकार ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि भूमि ख0न0 390 रकबा 0.33 है0 ग्राम टोटोलाई तहसील गंगापुर सिटी मे स्थित है जो सिवायचक सरकारी भूमि राज्य सरकार की खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सिवायचक सरकारी भूमि ख0न0 390 रकबा 0.33 है0 को सिवायचक के खाते मे से कम किया जाकर रेस्पो/वादी अमरलाल पुत्र भौरया गुर्जर व पप्पू पुत्र भौरया गुर्जर निवासी टोटोलाई तहसील गंगापुर सिटी के नाम गलत रूप से दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है। जो राज्य सरकार के हितो के विपरीत कार्य किया है। जो निरस्त योग्य है। ग्राम टोटोलाई के ख0न0 390 रकबा 0.33 है0 की भूमि अपीलांट/प्रतिवादी की खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। जो वर्तमान जमाबंदी से स्पष्ट है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि रेस्पो0/वादी को आराजी साबिक ख0न0 90 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा ग्राम टोटोलाई तहसील गंगापुर सिटी मे से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी न0 1 अमरलाल को दिनांक 12.1.83 को आवंटित की जाकर मौके पर कब्जा दिया गया तभी से रेस्पो/वादी इस भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। सेटलमेंट के दौरान इस भूमि का नया नम्बर 390 रकबा 33 ऐयर कायम किया गया परन्तु इसकी खातेदारी रेस्पो/वादी की बजाय सिवायचक दर्ज कर दी गई। इस प्रकार भू प्रबंध विभाग द्वारा की गई कार्यवाही शुरू से ही अवैधानिक, शून्य व प्रभावहीन है। सेटलमेंट द्वारा गलत रूप से वादी/रेस्पो0 की आवंटित शुदा आराजीयात का सिवायचक दर्ज कर देने के कारण वादी न0 2 पप्पू को नायब तहसीलदार तलावडा द्वारा नोटिस दिये जाने पर भूमि के राजस्व रिकार्ड की जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि सेटलमेट द्वारा गलत रूप से भूमि को सिवायचक दर्ज किया गया है। जिसे दुरूस्त कराने का वादी/रेस्पो0 अधिकार प्राप्त होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने के उपरान्त एवं वादी की ओर से प्रस्तुत गवाहान के बयान दर्ज किये जाकर ही वादी/रेस्पो0 का वाद पत्र विधि के अनुरूप ही स्वीकार किया गया है। रेस्पो/वादी का वाद पत्र राजस्व रिकार्ड से सिद्व होने पर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो0 का वाद पत्र डिक्री किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना मे राजस्व रिकार्ड मे अमल हो चुका है। जो अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2072–75 से स्पष्ट है। अपीलांट [illegible] अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की अपील भी मियाद वाहर पेश की गई है [illegible] खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:40:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर गनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि आराजी साबिक ख0न0 90 रकबा 4 बीघा 12 विस्वा ग्राम टोटोलाई मे से 1 बीघा 10 विस्वा भूमि वादी न0 1 को दिनांक 12.1.83 को आवंटित हुई है। जिसमे सेटलमेंट द्वारा इस भूमि का ख0न0 390 रकबा 33 ऐयर कायम किया जाकर सिवायचक दर्ज किया गया। वादी द्वारा अपने वाद पत्र मे यह स्पष्ट नही किया है कि सेटलमेंट द्वारा किस वर्ष मे इस भूमि को सिवायचक दर्ज किया गया है। इसके संबंध मे पत्रावली पर किसी प्रकार का कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा जबाब दावा पेश किया गया है परन्तु प्रस्तुत जबाब दावे के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम नही की गई है। जबकि विधि के प्रावधानो के तहत किसी वाद का निस्तारंण किये जाने हेतु तनकीयात कायम किया जाना आवश्यक होता है। जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नही की गई है। जहॉ तक रेस्पो/वादी के अधिवक्ता का कथन रहा कि अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की गई है इस संबंध मे स्पष्ट है कि राज्य सरकार अपने अधिनस्थ कार्मिको के सहयोग से ही कार्य करती है जिनके द्वारा समय पर राज्य सरकार के उच्चाधिकारियो को सूचना ही दी गई है इसी कारण अपील पेश करने मे बिलम्ब हुआ है। जो क्षमा योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे वादी को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर दिया गया हो इसके संबंध मे अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर कोई उल्लेख नही है। रेस्पो0 अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री पालना मे राजस्व रिकार्ड मे अमल हो चुका है। इस संबंध मे यहॉ उल्लेखनीय है कि एक तरफ तो अपीलांट/राज्य सरकार द्वारा अपील पेश की गई है दूसरी तरफ अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना की जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल किया गया है। जिसके लिए संबंधित तहसीलदार के विरूद्व कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर को लिखा जाना उचित प्रतीत होता है एवं प्रकरण मे अपीलांट/प्रतिवादी को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये जाने हेतु तथा तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर विवेचन विश्लेषण कर निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील अपीलांट रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 5/16 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.5.17 को अपास्त किया जाता है। तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर विवेचन विश्लेषण कर पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.4.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर को संबंधित तहसीलदार के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को लिखाया जाकर इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:40:05 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मीकांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with CamScanner